21. अब, हम इस अपील को फाइल करने के तत्पश्चात् नगर निगम और अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों और नोटिसों के संबंध में श्री सिब्बल के निवेदन पर विचार करते हैं । नगर निगम और अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों और नोटिसों जिन्हें 2020 की आई. ए. सं. 72517 द्वारा अभिलेख पर लाया गया है, सभी पश्चात्वर्ती कार्रवाइयां हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की विषयवस्तु नहीं थी और उन्हें इस अपील में भी विचार में नहीं लिया जा सकता है ।

22. उपर्युक्त उल्लिखित पश्चात्वर्ती नोटिसों, कार्रवाइयों और आदेशों के संबंध में जिन्हें उपर्युक्त उल्लिखित आई. ए. द्वारा अभिलेख पर लाया गया है, उनमें कथित विवाद्यकों को इस अपील में ग्रहण नहीं किया जा सकता है । हम पक्षकारों को पश्चात्वर्ती कार्रवाइयों और आदेशों के संबंध में विधि में यथाअनुज्ञेय ऐसे उपचार की ईप्सा करने की स्वतंत्रता देते हैं । तद्नुसार, अपील निपटाई जाती है ।

अपीलें भागत: मंजूर की गईं ।

क.

[2021] 2 उम. नि. प. 173

अमित साहनी

बनाम

पुलिस आयुक्त और अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 3282]

7 अक्तूबर, 2020

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोष और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133, 32, 19(1)(क) और 19(1)(ख) – अपील – वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – निरायुद्ध शांतिपूर्ण

सम्मेलन करने का अधिकार – युक्तियुक्त निर्बंधन – यदि किन्हीं आंदोलनकारियों द्वारा राज्य के किसी कानून का शांतिपूर्ण विरोध करते हुए आंदोलन किया जाता है तो उन्हें ऐसा करने का मूल अधिकार प्राप्त है किन्तु ऐसे अधिकार का प्रयोग निर्बाध रूप से नहीं किया जा सकता है और राज्य ऐसे अधिकार के प्रयोग करने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है ।

वर्तमान मामले में, विधानमंडल ने अपने विवेक से, नागरिक (संशोधन) अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया जिसके समर्थक और विरोधकर्ता भी हुए । विधानमंडल ने अपना उद्देश्य पूरा किया । समाज के एक वर्ग ने इस विधायी संशोधन से व्यथित होकर इस संशोधन की संवैधानिकता और विधिमान्यता को चुनौती देते हुए, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष याचिकाएं फाइल की हैं जो विचार के लिए लंबित हैं । अभिलेख के प्रयोजन के लिए इस विधान पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है । इस विधान के विरुद्ध दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में विरोध किए गए । हमने तारीख 17 फरवरी, 2020 के अपने आदेश में यह उल्लिखित किया था कि इस न्यायालय के समक्ष संवैधानिक चुनौती का सामना करने के बावजूद यह विधि स्वयं में उन व्यक्तियों को विरोध करने के अधिकार को नहीं छीनती है जो इस विधान से व्यथित महसूस करते हैं । तथापि, साथ ही साथ यह भी उल्लिखित किया है कि लोक रास्तों को प्रभावित किए बिना यह प्रश्न कि कहां और कैसे विरोध किया जा सकता है । पूर्वोक्त प्रश्न उस याचिका के संदर्भ में था जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 429 के रूप में मूल रूप से फाइल किया गया था, जिसका उसी दिन अर्थात् तारीख 14 जनवरी, 2020 को ही निपटारा कर दिया गया था । याचिका में शिकायत यह की गई थी कि नागरिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जिसकी विस्तृत उद्घोषणा अभी की जानी थी, का विरोध करने वाले व्यक्तियों ने विरोध करने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसके कारण तारीख 15 दिसम्बर, 2019 से कालिन्दी कुंज - शाहीन बाग रास्ता जिसमें ओखला अंडर पास सम्मिलित है, बंद हो गया है । यह निवेदन किया गया था कि इस तरीके से लोक रास्तों पर अतिक्रमण करने की

अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है और इस प्रकार इसके निमित्त स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए । उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे विधि, नियमों, विनियमों और शासकीय नीतियों के अनुसरण में रिट याचिका में याचियों की सार्वजनिक प्रकृति की शिकायत पर ध्यान दे । किन्तु, साथ ही साथ प्रत्यर्थी प्राधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे बृहत्तर लोक हित के साथ ही विधि और व्यवस्था कायम रखने को भी ध्यान में रखें । इस बात पर भी जोर दिया गया था कि प्रत्यर्थियों को बृहत्तर लोक हित में, ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए सभी अधिकारिता और प्राधिकार थे जहां आंदोलनकर्ता या विरोधकर्ता विरोध कर रहे थे । ऐसी परिस्थिति में, यह मत व्यक्त किया गया था कि इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट रिट, आदेश या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है कि विरोध या आंदोलन को या विरोध स्थल और ट्रैफिक को भी किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि उसे वास्तविक धरातल पर और पुलिस की बुद्धिमत्ता पर, विनिर्दिष्टतः जहां परिस्थितियां प्रत्येक 10 मिनट में बदल सकती हैं, ही अवधारित किया जा सकता है । तथापि, चूंकि परिस्थिति, यथास्थिति बनी हुई है, इसलिए, इसमें के याची ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका के माध्यम से वर्तमान अपील फाइल की है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – तथापि, विधायन के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार के अस्तित्व की विवेचना करते समय (पुलित्जर पुरस्कार विजेता, वाटर लिम्पमन्न, जिन्होंने यह कहा था कि 'लोकतंत्र में विरोध पक्ष को न केवल सांविधानिक रूप से सहना पड़ता है अपितु, इसे कायम भी रखना चाहिए क्योंकि यह अपरिहार्य है ।), न्यायालय, सुस्पष्ट तौर पर यह स्पष्ट करता है कि लोक रास्तों और लोक जगहों को इस तरीके से कब्जा नहीं किया जा सकता है और उसे सुनिश्चित भी करते हैं । लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं किन्तु, उसके बाद एकमात्र चिन्हित स्थानों में असहमति अभिव्यक्त करने वाले प्रदर्शनों को करना चाहिए । वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें कि आंदोलनकर्ताओं ने एक चिन्हित स्थान पर विरोध नहीं कर रहे हैं, अपितु, उस लोक रास्ते को बंद कर दिया है जिससे समुदायों को गंभीर असुविधा कारित हो रही है ।

न्यायालय अपीलार्थियों के इस अभिवाक् को स्वीकार नहीं कर सकता है कि अवधारित नहीं किए जाने वाले लोगों की संख्या एकत्रित हो सकती है जब कभी वे विरोध करने का चुनाव करते हैं । इसके अतिरिक्त, न्यायालय तकनीकी युग में रह रहा है और इंटरनेट उपक्रम के माध्यम से आंतरिक डिजीटल संबद्धता द्वारा संपूर्ण विश्व में सामाजिक क्रियाकलाप हो रहा है जिससे संगठन, ख्यातिलब्ध या प्रभावी संचार हो रहा है । तथापि, तकनीक में भी विरोधाभासी तरीके हैं जो डिजीटल आंदोलनों को सशक्त करते हैं और उसी समय पर उनकी कमजोरियों को भी प्रकट करते हैं । योग्यता का माप अतिशीघ्रता से होता है उदाहरण के लिए डिजीटल अवसंरचना का प्रयोग करते हुए संभावित नेता विहीन, संभावित कार्यकर्ताओं से लाभ उठाने को सशक्त होते हैं और नियंत्रण के प्रायिक निर्बंधनों का टाल-मटोल करते हैं, तथापि, इसे तब झटका लगता है जबकि सोशल मीडिया चैनल भी खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग करने लगते हैं और उच्चतर ध्रुवीकरण का वातावरण सृजित करने का प्रयास करते हैं जो बिना किसी प्रलक्षित घटना के समानांतर वार्तालाप भी करने लगते हैं । ये दोनों चीजें शाहीन बाग के साक्षी हैं जहां नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध विरोध आरंभ हुआ था जो शहर के बाहर भी फैल गया जिसमें महिलाओं की एकांकी गतिविधियां आरंभ हो गईं और उनके कारण कोई ऋजु समाधान नहीं निकाला जा सका जैसा कि मध्यस्थकर्ताओं द्वारा राय व्यक्त की गई हैं और समुदायों को असुविधा कारित हो रही है । इस प्रकार, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि लोक रास्तों पर इस प्रकार का कब्जा चाहे प्रश्नगत स्थल पर हो या किसी भी अन्य स्थान पर विरोध करने के लिए हो, स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को इस प्रकार के अतिक्रमण और बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए । न्यायालय का यह भी मत है कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका का निपटारा करने के बजाय मामले को मानीटर (देख-रेख करना) करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए । निस्संदेह, प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों की इसमें उपयुक्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है किन्तु, उसके बाद ऐसी उपयुक्त कार्रवाई का परिणाम भी निकलना चाहिए । उस तरीके से प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और उन्हें न्यायालय आदेशों की आड़ में

नहीं छिपना चाहिए या अपनी प्रशासनिक कृत्यों को करने के लिए न्यायालय से समर्थन की ईप्सा नहीं करनी चाहिए । न्यायालय कार्रवाइयों की वैधता का न्याय-निर्णय करते हैं और न कि उन्हें अपने कंधे का प्रयोग करने देते हैं जिससे कि वे उस पर अपनी बंदूक रखकर प्रशासन कर सके । दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर, विचारणीय समय व्यतीत होने के बावजूद न तो प्रशासन की ओर से कोई वार्तालाप की गई है न ही कोई कार्रवाई की गई है जिसमें कि न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित हो । (पैरा 18, 19, और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 17 एस. सी. सी. 324 : **मजदूर किसान शक्ति संगठन** बनाम **भारत संघ और एक अन्य** ;	15, 16
[1973]	(1973) 1 एस. सी. सी. 227 : **हिम्मत लाल के. शाह** बनाम **पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और एक अन्य** ।	14, 17

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 3282.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री तुषार मेहता, महाधिवक्ता, (सुश्री) ऐश्वर्या भाटी, अपर महाधिवक्ता, बलराज दीवान, अभिषेक चौहान, (सुश्री) राजश्री दुबे, गुरमीत सिंह मक्कर, अनमोल चंदन, प्रणन रंजन, (सुश्री) स्वाति घिल्दियाल, रजत नायर, बी. वी. बलराम दास की ओर से कनू अग्रवाल, संजय आर. हेगड़े, मंसूर अली, चिराग एम. शराफ, (सुश्री) संजना नान्जिया और (सुश्री)

अभिलाषा भारती, अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दिया ।

न्या. कौल – हमारा देश औपनिवेशिक गुलामी से छुटकारा पाते हुए तारीख 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को स्वयं का भाग्य विधाता बना । विभाजन की पीड़ा और विक्षोभ के बावजूद विधि और राजनीति में बेहतर विवेक रखने वालों ने संविधान सभा में एक साथ एकत्रित होकर, हमें अति विस्तृत और आधुनिक संविधानों में से एक संविधान दिया ।

2. भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है । विधानमंडल का कार्य विधान बनाना, कार्यपालिका का कार्य विधान को प्रवर्तित कराना और न्यायपालिका का कार्य उस विधान की संवैधानिक विधिमान्यता का परीक्षण करना है, यदि उसे चुनौती दी जाती है ।

3. विधानमंडल ने अपने विवेक से, नागरिक (संशोधन) अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया जिसके समर्थक और विरोधकर्ता भी हुए । विधान-मंडल ने अपना उद्देश्य पूरा किया । समाज के एक वर्ग ने इस विधायी संशोधन से व्यथित होकर इस संशोधन की संवैधानिकता और विधिमान्यता को चुनौती देते हुए, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष याचिकाएं फाइल की हैं जो विचार के लिए लंबित हैं । अभिलेख के प्रयोजन के लिए इस विधान पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है ।

4. इस विधान के विरुद्ध दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में विरोध किए गए । हमने तारीख 17 फरवरी, 2020 के अपने आदेश में यह उल्लिखित किया था कि इस न्यायालय के समक्ष संवैधानिक चुनौती का सामना करने के बावजूद यह विधि स्वयं में उन व्यक्तियों को विरोध करने के अधिकार को नहीं छीनती है जो इस विधान से व्यथित महसूस करते हैं । तथापि, साथ ही साथ यह भी उल्लिखित किया है कि लोक रास्तों को प्रभावित किए बिना यह प्रश्न कि कहां और कैसे विरोध किया

जा सकता है ।

5. पूर्वोक्त प्रश्न उस याचिका के संदर्भ में था जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 429 के रूप में मूल रूप से फाइल किया गया था, जिसका उसी दिन अर्थात् तारीख 14 जनवरी, 2020 को ही निपटारा कर दिया गया था । याचिका में शिकायत यह की गई थी कि नागरिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जिसकी विस्तृत उद्घोषणा अभी की जानी थी, का विरोध करने वाले व्यक्तियों ने विरोध करने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसके कारण तारीख 15 दिसम्बर, 2019 से कालिन्दी कुंज - शाहीन बाग रास्ता जिसमें ओखला अंडर पास सम्मिलित है, बंद हो गया है । यह निवेदन किया गया था कि इस तरीके से लोक रास्तों पर अतिक्रमण करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है और इस प्रकार इसके निमित्त स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए ।

6. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे विधि, नियमों, विनियमों और शासकीय नीतियों के अनुसरण में रिट याचिका में याचियों की सार्वजनिक प्रकृति की शिकायत पर ध्यान दे । किन्तु, साथ ही साथ प्रत्यर्थी प्राधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे बृहत्तर लोक हित के साथ ही विधि और व्यवस्था कायम रखने को भी ध्यान में रखें । इस बात पर भी जोर दिया गया था कि प्रत्यर्थियों को बृहत्तर लोक हित में, ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए सभी अधिकारिता और प्राधिकार थे जहां आंदोलनकर्ता या विरोधकर्ता विरोध कर रहे थे । ऐसी परिस्थिति में, यह मत व्यक्त किया गया था कि इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट रिट, आदेश या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है कि विरोध या आंदोलन को या विरोध स्थल और ट्रैफिक को भी किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि उसे वास्तविक धरातल पर और पुलिस की बुद्धिमत्ता पर, विनिर्दिष्टत: जहां परिस्थितियां प्रत्येक 10 मिनट में बदल सकती हैं, ही अवधारित किया जा सकता है ।

7. तथापि, चूंकि परिस्थिति, यथास्थिति बनी हुई है, इसलिए, इसमें के याची ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत

याचिका के माध्यम से वर्तमान अपील फाइल की है ।

8. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि आंदोलनकर्ताओं के बेहतर हित को ध्यान में रखते हुए या उनके साथ दयालुता का भाव रखते हुए कई पक्षकारों ने अंतर्वर्ती आवेदन भी फाइल किए थे । तारीख 17 फरवरी, 2020 के हमारे आदेश में हमने इन आवेदकों में से जिनसे हमारा संबंध है, एक के विद्वान् काउंसेल को अपना मत रखने के लिए कहा था कि उन व्यक्तियों के विभिन्न मत हो सकते हैं जो कल इस विरोध का अनुसरण करने की ईप्सा रख सकते हैं और ऐसी स्थिति में, अव्यवस्थित परिस्थिति ही दृष्टिगत होगी । इस प्रकार, ऐसे विरोध करने के तरीकों को जिनसे प्रत्येक जगह लोक रास्ते बंद होते हैं, पर रोक लगाने की अपेक्षा होती है ।

9. हमारा प्रयास हल निकालने में है, हम दो मध्यस्थकर्ताओं – श्री संजय आर. हेगड़े, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल जो न्यायालय में उपस्थित थे और सुश्री साधना रामचंद्रन् जो एक मध्यस्थ प्रशिक्षक हैं, को नियुक्त करना समुचित समझते हैं जो धरनास्थल पर आंदोलनकारियों से मिले थे । मध्यस्थकर्ताओं ने सराहनीय प्रयास किया है और इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे हमने तारीख 24 फरवरी, 2020 को नोट में लिया था । हमने रिपोर्ट का परिशीलन किया और यह पाया कि मांगों की प्रकृति अत्यधिक व्यापक है और यह कि बंद लोक रास्तों को कम से कम खोलने के बारे में मध्य का रास्ता निकालना अत्यधिक कठिन दिखाई देता है । तथापि, दिल्ली के अन्य भागों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण, हमें कार्यवाहियों को स्थगित करना अपेक्षित है ।

10. हमें द्वितीय रिपोर्ट जो तारीख 22 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई, से फायदा हो सकता है और उसका परिशीलन किया । हमें विश्वास है कि मध्यस्थकर्ताओं ने अपना बेहतर दिया होगा किन्तु उनके प्रयास सफलता नहीं प्राप्त कर सके, यद्यपि, विरोध स्थल पर लोगों की संख्या में संभाव्यत: कमी आई है । रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि आंदोलनकर्ताओं के साथ प्राइवेट व्यक्तियों की बातचीत से यह मत प्रलक्षित होता है कि मीडिया में किए गए लोक कथन और मौजूद

आंदोलनकर्ताओं की भीड़ के कथन में कुछ भिन्नता है । जबकि, महिला आंदोलनकर्ता टेंट के अंदर से विरोध में बैठी हैं क्योंकि वहां बहुत बड़ा परिसर है जिनमें पुरुष आंदोलनकारियों, स्वयंसेवकों और दर्शकों की भारी भीड़ है जो सभी प्रकार से सड़क को निरंतर बंद किए हुए हैं । हालांकि, जब देश व्यापी महामारी आरंभ हुई, तब जब तारीख 20 मार्च, 2020 को धरनास्थल पर जाया गया तो यह पाया गया कि टेंट के अंदर लगभग 35-40 तख्त मौजूद थे और प्रत्येक तख्त पर 2 से 3 महिलाएं बैठी थीं, जिसके परिणामस्वरूप टेंट के अंदर कुल लगभग 75 से 100 महिलाएं मौजूद थीं साथ ही साथ 200 या उससे अधिक पुरुष आंदोलनकारी टेंट के बाहर मौजूद थे । जबकि, टेंट द्वारा आने-जाने के आधे रास्ते पर कब्जा कर लिया गया था और शेष आधे रास्ते को कुछ ऐसी सुविधाओं जैसे लाइब्रेरी, इंडिया गेट का बड़ा मॉडल और भारत के नक्शे को दर्शाते हुए बड़े आकार का धातु का नक्शा और अत्यधिक मजबूत धातु के ढांचे और बड़े-बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया है जिन्हें हटाना अत्यधिक कठिन है । यह प्रतीत होता है कि आंदोलनकर्ताओं के मार्गदर्शक नेताओं के अभाव में और आंदोलनकर्ताओं के कतिपय समूहों के अभाव में कुछ ऐसे तत्व प्रभावित कर रहे हैं जो संभाव्यत: एक-दूसरे के गलतफहमी में कार्य कर हैं । इस प्रकार, शाहीन बाग का आंदोलन शायद अब आगे नहीं चल सकता है और महिलाओं की आवाज भी अब शक्तिहीन हो रही है जो स्वयमेव में विरोध करने की क्षमता खोती हुई प्रतीत हो रही हैं । इस बात की भी संभाव्यता है कि आंदोलनकर्ता इस महामारी में एक अन्य स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामान्य अनिच्छा के कारण अब आंदोलन पर पूरा जोर नहीं दे सकते हैं ।

11. हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि हमें भिन्न रास्ते और प्रयास करने के बारे में हल ढूंढ़ने चाहिए जिसे करने में मध्यस्थ सफल नहीं हो सके हैं । तथापि, इससे हल नहीं निकल सकता है । किन्तु, उसके बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा यह मत है कि इसे समाप्त करने के लिए बेहतर प्रयास किया गया है और जो असफल रहा है तो उसके बाद हमें पुन: प्रयास नहीं करना चाहिए ।

12. तत्पश्चात्, ईश्वर का हस्तक्षेप हुआ और स्थिति पर नियंत्रण हुआ न केवल हमारे देश में अपितु संपूर्ण विश्व में भी कोरोना वायरस महामारी ने जकड़ लिया । इस महामारी ने यह भी अति सुनिश्चित कर दिया कि देश में और देश के बाहर भी समन्वय करने की अपेक्षा है । इसका परिणाम यह हुआ कि इस बीमारी से लड़ने के तरीके के रूप में एकांत की वांछनीयता को दोहराने की आवश्यकता हुई । शाहीन बाग स्थल पर आंदोलनकर्ताओं को भी बुद्धिमत्ता आई और स्थल को खोल दिया । यद्यपि, कुछ पुलिस कार्रवाई द्वारा भी पूर्वोक्त उल्लिखित ढांचे को हटाया गया । तथापि, इस महामारी का अंत दिखाई नहीं दे रहा है और हम अब भी इससे लड़ रहे हैं । इस प्रकार, वास्तव में यह कहा जाए कि वर्तमान कार्यवाहियों में अनुतोष का उपाय स्वयं कार्य करने में है ।

13. तथापि, हम इसके शाखा विस्तार के लिए विषय पर कुछ स्पष्ट लाइनों का उल्लेख करते हैं । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री महमूद प्राचा ने यह संयाचना करने की ईप्सा की है कि दोनों स्थान और संख्या के संबंध में शांतिपूर्ण विरोध करने का पूर्ण अधिकार है । उन्होंने यह निवेदन किया कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) के अधीन मूल अधिकार पर मात्र खंड (2) और (3) के उपबंधों द्वारा ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह मात्र 'लोक व्यवस्था' के मामले में ही लागू होता है । किन्तु, ऐसा निर्बंधन युक्तियुक्त होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, इसमें के अपीलार्थियों ने यह दलील देने की ईप्सा की है कि ऐसी स्थिति से भविष्य में बचना चाहिए और इसके निमित्त कुछ मानदंड अधिकथित किए जा सकते हैं ।

14. अपीलार्थियों द्वारा ईप्सित पक्षकथन का खंडन करने के लिए विद्वान् महाधिवक्ता श्री तुषार मेहता ने कुछ न्यायिक उद्घोषणाओं को निर्दिष्ट किया है । **हिम्मत लाल के. शाह** बनाम **पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और एक अन्य**[1] वाले मामले में, बाम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(ण) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

---

[1] (1973) 1 एस. सी. सी. 227.

हुए, पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती दी गई थी । इन नियमों से एक नियम यह था कि लोक बैठकों को आयोजित करने के लिए पूर्व अनुज्ञा लेना अपेक्षित था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को सम्मेलन करने के अधिकार में सहायता करने के लिए ही मात्र विनियम बना सकता है और इसे लोक व्यवस्था के हित में ही युक्तियुक्त निर्बंधनों को अधिरोपित कर सकता है । इस संबंध में कि ये नियम, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19(1)(ख) का अतिक्रमण करते हैं या नहीं, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कि राज्य कोई अयुक्तियुक्त निर्बंधनों को अधिरोपित नहीं कर सकता है तो भी लोक रास्तों पर बैठक आयोजित करने का अधिकार, बैठक के समय और स्थान के बारे में समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन होता है और यह लोक व्यवस्था के भी अधीन होता है । तथापि, क्योंकि नियम संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा की अपेक्षा करता है जो इस बारे में कोई मार्गदर्शक अंतर्विष्ट नहीं करता है कि लोक बैठक आयोजित करने के लिए कब ऐसी अनुज्ञा को देने से इनकार किया जा सकता है, यह पाया गया है कि यह मनमानी शक्तियां प्रदत्त करता है और संबंधित प्राधिकारी को अमार्गदर्शक विवेकाधिकार प्रदान करता है और तद्नुसार, इसे संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19(1)(ख) के अधिकारातीत अभिनिर्धारित कर दिया गया था ।

15. **मजदूर किसान शक्ति संगठन** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जंतर-मंतर पर चिन्हित स्थान में प्रदर्शन करने के पहलू को विनियमित करने से संबंधित प्रश्न पर विचार किया था । निर्णय में उस क्षेत्र में निवासियों के हित के साथ ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आंदोलनकारियों के हित में संतुलन के सिद्धांत पर जोर देने का प्रयास किया गया है । संबंधित पुलिस प्राधिकारी ने शांतिपूर्ण आंदोलनों और प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर के क्षेत्र का सीमित उपयोग करने के

---

[1] (2018) 17 एस. सी. सी. 324.

लिए समुचित तंत्र का उपाय करने का निर्देश दिया था और उसके लिए मानदंड भी अधिकथित किया था । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन पारित होने वाले आदेशों के संबंध में, प्रतिषिद्ध करने वाले क्रियाकलापों जैसे संसद् क्षेत्र के आस-पास और उस क्षेत्र में, लोक बैठकों, जलूसों इत्यादि को आयोजित करना, न्यायालय में यह उल्लिखित करना कि ऐसे आदेशों के अभिप्राय और भाषा से यह उपदर्शित होता है कि संबंधित प्राधिकारी ने प्रत्येक निवेदनों की परीक्षा की थी और इस बारे में विनिश्चय किया था कि क्या प्रस्तावित प्रदर्शनों, लोक बैठकों इत्यादि को मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या इसका प्रभाव अर्थात् ट्रैफिक में कोई बाधा, मानव सुरक्षा के लिए कोई खतरा या लोक प्रशांति में कोई विघ्न कारित नहीं करेगा । तथापि, क्योंकि ऐसे आदेशों को बार-बार दोहराया गया था, इसलिए, उसे शाश्वतता की स्थिति को सृजित करने की कोटि में अभिनिर्धारित किया गया था और यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह लोक बैठकों, प्रदर्शनों इत्यादि को 'रोक' लगाने के समतुल्य की कोटि में आएगा । तद्नुसार, पुलिस और संबंधित प्राधिकारियों को समुचित फार्मूला और उस क्षेत्र में और उसके आस-पास विरोधों को विनियमित करने के लिए अपेक्षित मागदर्शकों को बनाने का निर्देश दिया गया ।

16. भारत, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं, यदि इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो यह पाएंगे कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विरोध के बीज पड़े थे जिनसे अंततोगत्वा भारत में लोकतंत्र खिला । तथापि, हमें यह विवेक में रखना चाहिए कि औपनिवेशिक नियमों के विरुद्ध असहमति के लिए पहले के प्रकार और तरीके को स्व-शासित लोकतंत्र में असहमति से बराबरी नहीं की जा सकती है । हमारा सांविधानिक स्कीम, विरोध करने और असहमति अभिव्यक्त करने के अधिकार प्रदत्त करता है, किन्तु, कतिपय कर्तव्यों के बारे में बाध्यता भी सुनिश्चित करता है । अनुच्छेद 19, भारत के संविधान की आधारशिलाओं में से एक है जो नागरिकों को दो बहुमूल्य अधिकारों अर्थात् अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ख) के अधीन निरायुद्ध शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार प्रदत्त करता है ।

इन अधिकारों की संबद्धता से प्रत्येक नागरिक को राज्य की कार्रवाई या अकार्रवाई के विरुद्ध शांतिपूर्ण सम्मेलन और विरोध करने का अधिकार प्रदत्त होता है । इनका, राज्य द्वारा सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र को बल मिल सके जिसकी हम अपेक्षा करते हैं । ये अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित से संबंधित है और इस संबंध में जो संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा विनियमित होता है । इसके अतिरिक्त, जैसा कि **मजदूर किसान शक्ति संगठन** (उपर्युक्त) वाले मामले में, चर्चा की गई है, प्रत्येक मूल अधिकार, एक व्यक्ति का हो सकता है या वर्ग का हो सकता है, एकांकी रूप से मौजूद नहीं होता है और प्रत्येक अन्य विरोधाभासी अधिकारों के संतुलन में होता है । इस ससम्मान के साथ इस मामले में हमारे द्वारा हल निकालने का प्रयास किया गया जहां आंदोलनकर्ताओं के अधिकारों को उस समुदायों के साथ संतुलन बनाए रखा गया है ।

17. तथापि, विधायन के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार के अस्तित्व की विवेचना करते समय (पुलित्जर पुरस्कार विजेता, वाटर लिम्पमन्न, जिन्होंने यह कहा था कि 'लोकतंत्र में विरोध पक्ष को न केवल सांविधानिक रूप से सहना पड़ता है अपितु, इसे कायम भी रखना चाहिए क्योंकि यह अपरिहार्य है' ।), हम, सुस्पष्ट तौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि लोक रास्तों और लोक जगहों को इस तरीके से कब्जा नहीं किया जा सकता है और उसे सुनिश्चित भी करते हैं । लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं किन्तु, उसके बाद एकमात्र चिन्हित स्थानों में असहमति अभिव्यक्त करने वाले प्रदर्शनों को करना चाहिए । वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें कि आंदोलनकर्ताओं ने एक चिन्हित स्थान पर विरोध नहीं कर रहे हैं, अपितु, उस लोक रास्ते को बंद कर दिया है जिससे समुदायों को गंभीर असुविधा कारित हो रही है । हम अपीलार्थियों के इस अभिवाक् को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि अवधारित नहीं किए जाने वाले लोगों की संख्या एकत्रित हो सकती है जब कभी वे विरोध करने का चुनाव करते हैं । **हिम्मत लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में, न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने स्पष्ट तौर पर यह मत व्यक्त किया है कि

स्ट्रीट्स और लोक पार्क अन्य प्रयोजनों के लिए प्राथमिक तौर पर मौजूद होते हैं और लोक स्ट्रीट में अभिव्यक्ति और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अबाधित प्रयोग को बढ़ावा देने से सामाजिक हित प्रभावित होता है जो विरोध करने की अभिव्यक्ति को प्रतिषिद्ध और विनियमित करता है । किन्तु, युक्तियुक्त विनियमन और मनमाना अपवर्जन के बीच सांविधानिक विभेद होता है ।

18. इसके अतिरिक्त, हम तकनीकी युग में रह रहे हैं और इंटरनेट उपक्रम के माध्यम से आंतरिक डिजीटल संबद्धता द्वारा संपूर्ण विश्व में सामाजिक क्रियाकलाप हो रहे हैं जिससे संगठन, ख्यातिलब्ध या प्रभावी संचार हो रहा है । तथापि, तकनीक में भी विरोधाभासी तरीके हैं जो डिजीटल आंदोलनों को सशक्त करते हैं और उसी समय पर उनकी कमजोरियों को भी प्रकट करते हैं । योग्यता का माप अतिशीघ्रता से होता है उदाहरण के लिए डिजीटल अवसंरचना का प्रयोग करते हुए संभावित नेता विहीन, संभावित कार्यकर्ताओं से लाभ उठाने को सशक्त होते हैं और नियंत्रण के प्रायिक निर्बंधनों का टाल-मटोल करते हैं, तथापि, इसे तब झटका लगता है जबकि सोशल मीडिया चैनल भी खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग करने लगते हैं और उच्चतर ध्रुवीकरण का वातावरण सृजित करने का प्रयास करते हैं जो बिना किसी प्रलक्षित घटना के समानांतर वार्तालाप भी करने लगते हैं । ये दोनों चीजें शाहीन बाग के साक्षी हैं जहां नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध विरोध आरंभ हुआ था जो शहर के बाहर भी फैल गया जिसमें महिलाओं की एकांकी गतिविधियां आरंभ हो गईं और उनके कारण कोई ऋजु समाधान नहीं निकाला जा सका जैसा कि मध्यस्थकर्ताओं द्वारा राय व्यक्त की गई हैं और समुदायों को असुविधा कारित हो रही है ।

19. इस प्रकार, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि लोक रास्तों पर इस प्रकार का कब्जा चाहे प्रश्नगत स्थल पर हो या किसी भी अन्य स्थान पर विरोध करने के लिए हो, स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को इस प्रकार के अतिक्रमण और बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ।

20. हमारा यह भी मत है कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका का निपटारा करने के बजाय मामले को मानीटर (देख-रेख करना) करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए । निस्संदेह, प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों की इसमें उपयुक्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है किन्तु, उसके बाद ऐसी उपयुक्त कार्रवाई का परिणाम भी निकलना चाहिए । उस तरीके से प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और उन्हें न्यायालय आदेशों की आड़ में नहीं छिपना चाहिए या अपनी प्रशासनिक कृत्यों को करने के लिए न्यायालय से समर्थन की ईप्सा नहीं करनी चाहिए । न्यायालय कार्रवाइयों की वैधता का न्याय-निर्णय करते हैं और न कि उन्हें अपने कंधे का प्रयोग करने देते हैं जिससे कि वे उस पर अपनी बंदूक रखकर प्रशासन कर सके । दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर, विचारणीय समय व्यतीत होने के बावजूद न तो प्रशासन की ओर से कोई वार्तालाप की गई है न ही कोई कार्रवाई की गई है जिसमें कि हमारा हस्तक्षेप अपेक्षित हो ।

21. हम, मात्र यह आशा करते हैं कि ऐसी स्थिति भविष्य में उद्भूत नहीं होनी चाहिए और विरोध, उपर्युक्त उल्लिखित रूप में विधिक प्रास्थिति के अध्यधीन होना चाहिए जिसमें कुछ सांत्वना और वार्तालाप हो किन्तु, इसे हाथ से निकलने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए ।

22. तद्नुसार, हम इन कार्यवाहियों को बंद करते हैं, एक बार पुन: हम मध्यस्थकर्ताओं द्वारा निभाई गई कठिन भूमिका की सराहना करते हैं ।

23. सिविल अपील निपटाई जाती है, पक्षकार अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपील निपटाई गई ।

क.